राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, १६ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

राजस्थान के राज्यपाल, श्री गुरुमुख-निहालसिंह, का अभिभाषण

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण देने हेतु खड़े होने पर करतल-ध्वनि)

राज्यपाल (श्री गुरुमुखनिहालसिंह): अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्य गण,

विधान सभा के इस अधिवेशन में आपका स्वागत करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। साल भर पूर्व मैंने आपको इस सदन में संबोधित किया था। इसलिये, इस अर्से में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं उन पर एक नजर डालने और आइन्दा साल में राज्य सरकार जो नीति अपनाना चाहती है उसे मैं मोटे तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा।

२. गत वर्ष में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति संतोषप्रद रही है। अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य में बहुत तरक्की हुई है। कुख्यात डाकू दलों का सफाया किया जा चुका है जिससे डाकुओं की समस्या करीब २ समाप्त हो गई है। इस संबंध में यह ज़ाहिर करना जरूरी है कि नामी डाकू कल्याणसिंह के दल का मुकाबला करने में पुलिस के अफसरों तथा जवानों ने बड़े ही साहस एवं वीरता का परिचय दिया। ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों के लिए राज्य के चार पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल तथा फायर सर्विस मेडल और अन्य चार को पुलिस मेडल प्रदान किये गये हैं।

३. यह भी तय किया गया है कि उत्तरी ज़ोन के राज्यों के लिए एक शामलात रिजर्व पुलिस फोर्स बनाई जाय। ऐसी उम्मीद है कि इस फैसले को अगले वित्तीय वर्ष में अमली रूप दिया जायगा।

४. सन् १९५८ में देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ जाने से अनाज की पैदावार में बहुत कमी हो गई और मंहगाई बढ़ने लगी। इसका, इस राज्य में भी अनाज के भावों पर असर पड़ना लाज़िमी था, खास तौर पर, इसलिए कि अनाज के जिस क्षेत्र (Zone) में राजस्थान है, उसके कुछ हिस्सों में फसलें नष्ट हो गईं। सरकार ने फिर भी ऐसे ठोस कदम उठाये जिनसे कि भावों की बढ़ती हुई तेजी को एक हद तक रोका गया। गत वर्ष हमारे सामने काफी कठिनाइयां आईं परन्तु जो वर्ष अब प्रारम्भ हुआ है, उसमें रबी

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

की फसल बहुत अच्छी होने की आशा है और हमें विश्वास है कि इस वर्ष की रबी की फसल अपना एक रेकॉर्ड कायम करेगी। इससे न केवल हमारी चालू जरूरियात ही पूरी होंगी बल्कि उसमें से हम कुछ अनाज बचा भी लेंगे।

५. रबी की फसल की ऐसी संभावित सफलता खास तौर पर रबी अभियान तथा उसके अधीन पैदावार के समस्त ऐसे साधनों का उपयोग करने से हुई है जो कि किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। रबी अभियान की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने एक बड़े पैमाने पर 'खरीफ' अभियान भी शुरू करने का फैसला किया है।

६. सबसे बड़ा काम आज हमारे सामने पैदावार बढ़ाने का है और इसलिए हम आगामी वर्ष में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे :

(१) सिंचाई के निजी साधनों का निर्माण।

(२) सिंचाई के छोटे साधनों का निर्माण जैसे रपट, एनीकट्स तथा छोटे छोटे बांध इत्यादि।

सामुदायिक विकास खण्डों में, सिंचाई के छोटे साधनों के निर्माण पर हमारा खर्च देश में सबसे अधिक रहा है।

(३) स्वावलम्बन के आधार पर मेड़-बन्दी।

मेड़-बन्दी के कार्यक्रम से लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और राज्य के कई भागों में किसानों ने इस योजना को अपने खुद के कार्यक्रम के तौर पर अपना लिया है। मेड़-बन्दी के इस कार्य के लिये सरकार को कोई विशेष खर्चा नहीं करना पड़ा है। ये बन्ध करीब-करीब सभी स्थानों पर जल कटाव को रोकने और पानी जमा रखने के साधन सिद्ध हुए हैं। कई स्थानों पर तो इन बांधों की सहायता से भूमि को पहली बार खेती करने योग्य बनाया जा सका है। ऐसे खेतों में जिनमें पहिले से ही खेती की जाती थी, इन बांधों से पैदावार में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है और कम से कम एक सिंचाई (पाणत) की बचत हुई है। सरकार इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती है और इस हेतु इस वर्ष के लिए २० लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(४) रबी अभियान से, किसानों को खेती के नये तरीकों को अपनाने तथा अच्छे औजारों के इस्तेमाल करने में सहायता मिली है। इस वर्ष "जुताई", लीक बुआई, और "निन्दाई" आदि सुधरे हुए तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

७. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के इस निर्णय को, कि राज्य सरकारें अनाज के थोक-व्यापार को अपने हाथ में लें, अमल में लाने का फैसला कर लिया है ताकि नाज के भाव, पैदा करने वाले तथा खाने वाले वर्ग, दोनों के लिए उचित हों। इस योजना की तफसीलात पर फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन और राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है।

८. भूमि सुधारों की ओर राज्य सरकार का विशेष ध्यान बदस्तूर बना रहा है क्योंकि वे कृषि विकास के लिए सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा तैयार करते हैं तथा समाज के एक मुख्य अंग के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। करीब-करीब सभी जागीरों का पुनर्ग्रहण कर

Page No.3

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

लिया गया है और जमींदारी तथा बिस्वेदारी खत्म करने का कार्य भी, सदन द्वारा पास किये गये अधिनियम पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होते ही, हाथ में ले लिया जायगा। इस प्रकार सन् १९५९ में कृषि सुधारों का पहला दौर समाप्त हो चुकेगा।

९. यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रधान मन्त्री के पंच फैसले के फलस्वरूप जागीरों के पुनर्ग्रहण सम्बन्धी सभी विवादास्पद सवालों का, सभी हितों के हक में, सन्तोषप्रद फैसला हो गया है। पंच फैसले की तफसीलात शीघ्र ही सदन के सामने पेश की जायेंगी।

१०. राज्य के अधिकांश हिस्सों में किसानों के पास खेती के लिए जमीनें थोड़ी व आर्थिक दृष्टि से कम हैं। ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए यह लाज़मी है कि छोटी-छोटी सहकारी समितियां कायम की जायें और उन्हें उन्नत किया जाय तथा साथ ही सहकारी कृषि समितियां भी कायम की जायें। इसलिए यह तय किया गया है कि कम से कम समय में, राज्य भर में सर्विस सहकारी समितियों की स्थापना की जाय।

११. राज्य के इस फैसले को अमल में लाने के लिए राजस्व मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो इसकी तफसील तैयार करेगी। इस समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के शीघ्र बाद ही पड़त सरकारी जमीनों को पंचायतों को सौंप दिया जायगा और उन जमीनों का प्रबन्ध पंचायतें भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियों द्वारा करेंगी। ग्रामदान में दिए गये गांवों में समस्त कृषि-भूमि ग्राम सभा के अधीन होगी जिसका प्रबंध सहकारी समितियों की मार्फत किया जायगा।

१२. विकास कार्यों में लगातार वृद्धि हुई है। उसके समस्त क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है।

१३. भाखड़ा योजना का निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है। कोटा बेरेज तथा चम्बल प्रोजेक्ट की नहरों का निर्माण कार्य पूरी तेज़ी से चल रहा है और उनके प्रोग्राम के मुताबिक प्रगति हो रही है। मध्यम श्रेणी की योजनाओं की प्रगति भी संतोषप्रद है।

१४. राजस्थान नहर का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है। इस योजना को अच्छी तरह से, कम खर्च में तथा जल्दी पूरी करने के लिए एक निर्देशन समिति तथा एक राजस्थान केनाल बोर्ड बनाया गया है। नहर को पक्की बनाने तथा नहरी पानी से बिजली पैदा करने के प्रश्न पर वैज्ञानिक जांच की जा रही है।

१५. आइन्दा साल में राजस्थान तथा पंजाब के इलाकों में, बिजली के संचार तथा वितरण का कार्य पूरा कर दिया जायगा। भाखड़ा योजना से श्री गंगानगर, चूरू, सीकर तथा झुंझुनूं ज़िलों में बिजली पहुँचा दी जायगी। चम्बल योजना से बिजली देने का कार्य भी शुरू कर दिया जायगा। इसके द्वारा २१,००० किलोवाट बिजली पैदा की जायगी। जिससे इस वर्ष ३२ कस्बों व गांवों को बिजली दी जा सकेगी, जबकि पिछले वर्ष में केवल १८२० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकी थी।

१६. राज्य की आर्थिक स्थिति में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण पशु तथा भेड़ों की नस्ल में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में १,१०० प्राइवेट केटल ब्रीडिंग व शीप ब्रीडिंग फार्म्स

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

खोलने की योजना बनाई गई है जिसके अनुसार हर विकास खण्ड में प्रत्येक प्रकार के १० फार्म हो जायेंगे। कुछ ही अर्से में काफी तादाद में नस्ली सांड और मेंढ़े उपलब्ध हो सकेंगे। इससे न केवल राज्य की ज़रूरियात ही पूरी होंगी, बल्कि हम पड़ौसी राज्यों में भी नस्ली जानवर भेजने में समर्थ हो जायेंगे।

१७. सहकारी उधार व्यवस्था में लगातार तरक्की होती रही है। इस योजना का विस्तार राज्य के २० फी सदी गांवों में हो चुका है और इससे हमारी ११ फी सदी ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचा है। कर्ज के तौर पर दी गई कुल रकम ४.४ करोड़ से बढ़ कर ७.७३ करोड़ हो गई है।

१८. सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के विस्तार की योजना करीब-करीब पूरी हो चुकी है तथा भूपाल सागर में स्थित सुगर फैक्टरी ने भी अपना विकास कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया है।

१९. भरतपुर वैगन फैक्टरी ने भी उत्पादन शुरु कर दिया है और जयपुर की नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा सवाई माधोपुर में एक दूसरी वैगन फैक्टरी खोलने के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है। इस कम्पनी ने हाल ही में सवाई माधोपुर में एक डीजल लोकोमोटिव प्लान्ट स्थापित करने के लिए भारत सरकार को दरख्वास्त की है तथा इसने अपने जर्मन सहयोगियों से बातचीत भी कर ली है और यह आशा की जाती है कि उन्हें इस बाबत लाइसेन्स मिल जायगा और सवाई माधोपुर इंजीनियरिंग उद्योगों का और भी बड़ा केन्द्र बन जायगा।

२०. जयपुर की नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी ने, जो भारत में बाल बियरिंग बनाने वाली एक ही कम्पनी है, अब प्रतिवर्ष २०,००० रेलवे एक्सेल रौलर बियरिंग बनाने के लिये लाईसेन्स प्राप्त कर लिया है। ऐसी बियरिंग की मशीनें मंगाने के लिये ऑर्डर भी किया जा चुका है और इसी वर्ष सितम्बर तक उनका उत्पादन शुरु हो जाने की संभावना है। इससे नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी की मौजूदा फैक्टरी का विस्तार दुगुना हो जावेगा।

२१. उदयपुर में कपड़े की नयी मिल तथा कोटा में नायलौन फैक्टरी के निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरु हो जायंगे।

२२. हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी ने नमक बनाने के लिये सांभर तथा डीडवाना क्षेत्रों को शिकमी पट्टे पर ले लिया है। केन्द्रीय सरकार के साथ हमारा नमक सम्बन्धी इकरारनामा सन् १९६० में खत्म हो जावेगा। आशा है कि हमारे और केन्द्रीय सरकार के बीच इस बारे में संतोषप्रद व्यवस्था (Arrangements) हो जायगी। हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी जो कि खास तौर पर नमक के द्वारा रासायनिक उद्योगों का विकास करने के लिए खोली गई थी अब सांभर में सोडा एश फैक्टरी खोलने में समर्थ हो गई है।

२३. सदन को यह जानकारी होगी कि अभी हाल ही में हमारा पंजाब सरकार के साथ हनुमानगढ़ में एक फर्टीलाइजर (खाद) फैक्टरी के लिये भाखरा परियोजना के राईट बैंक जेनेरेटर से २५,००० किलोवाट बिजली प्राप्त करने का समझौता हुआ है। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि तीसरी योजना में फर्टीलाइजरों का उत्पादन मौजूदा तादाद से दस गुना बढ़ जाये। चूंकि इसके लिए भारत के प्रत्येक कृषि क्षेत्र में कम से कम एक फर्टीलाइजर फैक्टरी की जरूरत होगी

Page No.5

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

और चूंकि राजस्थान नहर के द्वारा सिंचाई का क्षेत्र बहुत बढ़ जायेगा इसलिये यह पूरी उम्मीद की जाती है कि, भारत सरकार ने नई फर्टीलाइजर फैक्टरियां कायम करने के लिए उचित स्थान नियत करने के लिए जो कमेटी मुकर्रर की है, वह हनुमानगढ़ में भी वैसी फैक्ट्री कायम करने की सिफारिश जरूर करेगी। राजस्थान सरकार इस बारे में भारत के एक उद्योगपति से भी बातचीत कर रही है।

२४. भारत सरकार ने हमें अपने इस फैसले भेजने की सूचना दी है कि उदयपुर में बहुत जल्द जस्त गलाने का एक कारखाना (Zinc Smelter) खोला जायगा।

२५. खो दरीबा तथा खेतड़ी इलाकों में तांबे की खोज का कार्य (प्रोस्पेक्टिंग कार्य) ज्यादा तेजी से किया जा रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही तांबा गलाने के कारखाने की स्थापना की योजनाओं को भी अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

२६. लघु उद्योग क्षेत्र में, राज्य में उपभोज्य वस्तुओं (Consumers' goods) के उत्पादन के लिये छोटे पैमानों पर कारखाने स्थापित करने का उचित वातावरण तैयार कर लिया गया है। करीब २०० से अधिक लघु उद्योग खुल चुके हैं। इन उद्योगों के विकास में अधिक आशाजनक बात यह है कि इनमें से अधिकतर उद्योग इंजीनियरिंग किस्म के हैं मसलन भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों के पुर्जे बनाना, साइकिलों के तथा सिलाई मशीनों के हिस्से बनाना, मशीनों के औजार आदि बनाना। इससे यह ज़ाहिर है कि हमारे लघु उद्योग, जो पहले केवल हाथ–करघा उद्योग तथा दस्तकारियों तक ही सीमित थे, वे अब अन्य क्षेत्रों में भी विकसित हो रहे हैं। राज्य की पहली औद्योगिक बस्ती (Industrial estate) का कार्य जयपुर में प्रारंभ हो चुका है। उम्मीद की जाती है कि दूसरी योजना के अन्त तक विभिन्न योजनाओं तथा थरमल स्टेशनों से बिजली मिलने लगेगी। राजस्थान के लघु उद्योगों का विकास, उनकी मौजूदा रफ्तार से बहुत अधिक तेज़ी से होने लगेगा। सरकार ने पांच और औद्योगिक बस्तियां कायम किये जाने की मंजूरी दे दी है। यह भीलवाड़ा, माखुपुरा (अजमेर), गंगानगर, जोधपुर तथा कोटा में स्थापित की जायेंगी।

२७. खादी के उत्पादन में तरक्की बदस्तूर जारी है और राजस्थान, देश में सब से अधिक खादी उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक होने का दावा कर सकता है।

२८. नये खनिज पदार्थों की खोज का कार्य बराबर तरक्की पर है। डूंगरपुर ज़िले फ्लोरस्पर (Floursper) जो स्टील तथा अल्यूमिनियम उद्योग के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खनिज है, बड़ी मात्रा में मिला है। पजाना क्षेत्र में लिगनाइट और भी अधिक मात्रा में मौजूदा होना साबित हुआ है। चित्तौड़गढ़, नीमकाथाना तथा कोटपूतली में लाइमस्टोन सम्बन्धी खोज कार्य पूरा हो चुका है जिसके फलस्वरूप इन स्थानों में बहुत अधिक मात्रा में बढ़िया किस्म का लाइमस्टोन जो सीमेण्ट बनाने के लिये उपयुक्त है, मौजूद होना ज़ाहिर हुआ है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा सेनिट्री सामान बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी के भी अनेक डिपोजिट्स बीकानेर, सवाई माधोपुर तथा पाली जिलों में मिले हैं।

२६. शिक्षा के क्षेत्र में १६५८–५६

Page No.6

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

का वर्ष चहुंमुखी विकास का रहा है। दूसरी योजना में ६ से ११ साल की उम्र के ५.० फी सदी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का लक्ष्य कायम किया गया था। संशोधित योजना में दूसरी योजना के अन्त तक इस उम्र के ५६.३ फी सदी बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का लक्ष्य रखा गया है।

३०. पिछली जुलाई में आयोजित "स्कूल चलो" अभियान के फलस्वरूप स्कूलों में ७०,००० विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। इस अभियान को इस वर्ष भी दोहराने की तजवीज है। सरकार ने कुछ चुने हुये स्थानों में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा चालू करने का भी फैसला किया है।

३१. सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक है कि हमारी लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई है। इस हालत को सुधारने के लिये ये कदम उठाये जा रहे हैं :

(क) प्रौढ़ महिलाओं के वास्ते उन्हें, शिक्षक–कार्य के लिये तैयार करने हेतु, संक्षिप्त पाठ्यक्रम (कण्डेन्स्ड कोर्सों) की तथा होस्टल की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ख) महिला शिक्षकों के आवास के लिये क्वार्टर्स बनाना।

(ग) ग्राम साथिनों की नियुक्ति करना।

(घ) शिक्षकों को तालीम के आधुनिक तरीकों से परिचित कराने के लिये रिफ्रेशर कोर्स चालू करना।

(ङ) मिडिल स्कूलों में ज़रूरतमन्द लड़कियों को उनकी अच्छी हाजरी के लिये वज़ीफे देना तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भावी शिक्षकों को स्टाइपेण्ड देना।

३२. ग्राम शिक्षकों के लिये क्वार्टर बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है। यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि ब्लाक क्षेत्रों में स्थित बहुत से गांवों में लोगों ने क्वार्टरों के बनाने में, नकद, सामान या श्रम के रूप में मदद दी है। इस ओर विशेष ध्यान देने की तजवीज है ताकि शिक्षकों को गांवों में रहने के लिए आकर्षित किया जा सके।

३३. पिछले साल में दो पोलीटेकनिक संस्थाएं चालू की गई, जिनमें १७० विद्यार्थियों के दाखिले की व्यवस्था थी। अब अलवर में एक और पोलीटेकनिक संस्था चालू करने की तजवीज है।

३४. टेकनीकल शिक्षण की सुव्यवस्था के लिये राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सभी टेकनीकल संस्थाओं को एक ही टेकनीकल शिक्षा संचालक के अधीन कर दिया गया है।

३५. संस्कृत शिक्षा के लिये एक अलग डाइरेक्टोरेट कायम किया गया है जिसने काम करना शुरु कर दिया है।

३६. ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष पिछले साल बनाई और सुधारी गई ७०० मील लम्बी सड़कों की तुलना में ६०० मील से कुछ ही कम लम्बी नई सड़कें बनाई और सुधारी जायेंगी।

३७. जल व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं की प्रगति संतोषजनक रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक गांव के लिये शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सके, इस हेतु एक समिति बनाई गई है जो इस बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

३८. अनुसचित जातियों तथा जन-

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

जातियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। पिछले डेढ़ साल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के करीब १,००० उम्मीदवारों को भिन्न-भिन्न नौकरियों पर लगाया गया है।

३६. आर्थिक विकास की योजनाओं की कामयाबी के लिये सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि के लिये योजना विभाग में एक "मैन-पॉवर" सेक्शन खोला गया है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्तमान उपलब्धि, दूसरी योजना के बचे हुए सालों में उनकी संभावित कमी और तीसरी योजना काल में उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये पांच अनुमान-समितियां कायम की गई हैं। इंजीनियरिंग, कृषि तथा चिकित्सा व जन स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुमान-समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

४०. चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिये आगामी जुलाई से बीकानेर में एक दूसरा मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। अन्य राज्यों से भी डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं।

४१. प्रशासन-सेवाओं और लेखा-सेवा की आवश्यकताओं का भी अन्दाज लगाया गया है और इस सम्बन्ध में कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

४२. सही आंकड़ों की कमी आर्थिक विकास के लिये योजना बनाने में एक बड़ी अड़चन है। इसलिये राजस्थान का आर्थिक सर्वे करना तय किया गया है और इसके लिये एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। इसके द्वारा सवाई माधोपुर जिले का विस्तृत सर्वे करने की योजना बनाई गई है और राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये आवश्यक मदों का भी सरसरी तौर पर सर्वे कराने का निश्चय किया गया है।

४३. १६५६-६० में योजना पर कुल व्यय २४·०६ करोड़ रु० तक पहुंच जावेगा। इसमें केन्द्र द्वारा संचालित १·४ करोड़ रु० तक के व्यय की योजनायें और राजस्थान नहर के लिये नियत की गई राशियें शामिल नहीं हैं। १६५८-५६ में १.८३ लाख टन की अन्न उत्पादन क्षमता के मुकाबले में इस वर्ष अतिरिक्त अन्न उत्पादन का लक्ष्य २·५२ लाख टन नियत किया गया है।

४४. तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी विस्तृत रूपरेखा उन सिफारिशों के आधार पर तैयार की जायेगी जो इन स्रोतों द्वारा सरकार को पेश की जायेगी:—

(१) राज्य के प्लानिंग बोर्ड की उप-समिति, जो कायम की जा चुकी है।

(२) "वर्किंग ग्रुप" जो विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिये निर्मित किये गये हैं। वर्किंग ग्रुपों से कहा गया है कि वे अपने विकास खण्डों को प्रादेशिक व प्रशासनिक इकाई मान कर उनके आधार पर अपनी तजवीज़ें तैयार करें।

(३) विस्तृत तजवीज़ें जो प्लान फ्रेम के अन्तर्गत राज्य के योजना व विकास विभागों द्वारा तैयार की जायेंगी।

४५. उपरोक्त तीन ज़रियों से प्राप्त तजवीज़ों के आधार पर राज्य सरकार, जिला

Page No.8

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

परिषदों और पंचायत समितियों की सलाह से, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार करेंगी।

४६. हमारे देश के सम्मुख मुख्य समस्या अनाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, और जनता को प्रजातांत्रिक उपायों द्वारा सामाजिक न्याय की प्राप्ति कराना है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रतिनिधि व प्रजातांत्रिक-संस्थाओं का निर्माण किया जाय जिनकी देख-रेख में स्थानीय कार्यों के लिये उपलब्ध धन राशि का व्यय उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार किया जा सके। जिलों में एक सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक प्रशासनिक ढांचा कायम करने की आवश्यकता है, जिसमें ग्राम पंचायतें, खण्ड व ज़िलास्तर के लोकप्रिय संगठनों से सुसंबद्ध होकर कार्य करें। लोकप्रिय संस्थाओं के कार्यक्रम में शांति व न्याय के अलावा, सामान्य प्रशासन और क्षेत्रीय विकास के सभी कार्य सम्मिलित होने चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला स्तर पर जिला परिषदें तथा खंड स्तर पर पंचायत समितियां बनाने का और जिला बोर्डों तथा खंड विकास समितियों को समाप्त करने का निश्चय किया गया है। साथ ही तारीख २ अक्टूबर, १९५९ से राज्य में सर्वत्र, पंचायत समितियां कायम करने की तजबीज की गई है चाहे तब तक कोई इलाका किसी विकास खंड में सम्मिलित न भी किया जा सका हो। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिला परिषदें कायम की जायेंगी।

४७. इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सेवाओं का संबंध जीवन के करीब-करीब प्रत्येक अंग से होने के कारण इन सेवाओं का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होगा। इन संस्थाओं के कार्यक्रम में अनिवार्य, ऐच्छिक और सलाहकारी, सभी प्रकार के कार्य रहेंगे जिनके द्वारा विकास के सभी पहलुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा, खास तौर पर कृषि, पशु-पालन, सहकारिता, उद्योग और अन्य सामाजिक सेवाएं मसलन प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य व सप्लाई संबंधी प्रबंध, चिकित्सा सहायता, पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था, संकटकालीन सहायता और पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण, इत्यादि।

४८. विकास खण्डों से संबंधित विभिन्न कार्य जो अभी अलग-अलग विभागों द्वारा किये जा रहे हैं, धीरे-धीरे इन संस्थाओं को सौंप दिये जायेंगे।

४९. जिला परिषद मुख्यतया समन्वय करने वाली (कोऑर्डिनेटिंग) और सलाहकारी संस्था होगी।

५०. इन संस्थाओं को इनके द्वारा लगाये गये भू-राजस्व तथा अन्य करों के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भी ऐसे कार्यों के लिए जो अभी संबंधित विभागों द्वारा किये जा रहे हैं, उपयुक्त सहायता की रकमें प्रदान की जायेंगी। इस विषय में सरकार द्वारा नियुक्त समिति विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है।

५१. इस तजबीज़ को अमल में लाने के लिए आवश्यक विधेयक, विधान सभा के इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

५२. मुझे संकोच है कि मैंने आपका कुछ अधिक समय ले लिया है लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आपको सरकार द्वारा संचालित शासन-कार्यों की गतिविधियों से तथा भावी योजनाओं से परिचित कराने के

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह)

लिए यह आवश्यक था। इसके पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं आपका ध्यान एक बार फिर सरकार के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यापक निर्णयों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा :

(१) यह कि सरकारी संयुक्त कृषि प्रणाली को राज्य की भावी कृषि व्यवस्था का आधार मान लिया गया है जिसके अनुसार संयुक्त कृषि के लिए, भूमि का एकीकरण (Pooling) किया जायगा, परन्तु किसानों की भूमि पर उनकी मिल्कियत बदस्तूर कायम रहेगी तथा उनको उपज में से उनकी भूमि के अनुपात के अनुसार हिस्सा मिलेगा। ऐसे लोगों को भी जो खेतों पर केवल मज़दूरी करते हैं, उपज में से उनके काम के अनुपात से हिस्सा मिलेगा चाहे वे भूमि के स्वामी हों अथवा नहीं।

(२) यह कि ग्राम विकास खण्ड और ज़िला स्तर पर शासन-शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय।

इनमें सरकार की कामयाबी केवल आपके हार्दिक सहयोग, राज्य कर्मचारियों के सद्भावना और ईमानदारी से किये गये सद्प्रयत्नों और विभिन्न स्तरों पर गैर सरकारी संस्थाओं के सक्रिय योग पर ही निर्भर है।

अपने विचार-विमर्श में सदन को पूर्ण सफलता मिले, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है।

(करतल-ध्वनि)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० ११.४७ बजे दिनांक १८ फरवरी, १६५६ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No.10

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १६ फरवरी, ५६)

स्कम्भ

राजस्थान के राज्यपाल, श्री गुरुमुखनिहालसिंह, का अभिभाषण (१-१८)

११ बजे मध्यान्ह पूर्व राज्यपाल महोदय ने सभा भवन में पदार्पण कर इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्यों के समक्ष कृपा पूर्वक अपना अभिभाषण दिया।

स्कम्भ

बुधवार, दिनांक १८ फरवरी, १६५६ की कार्य-सूची

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं वाद-विवाद।